भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं0 5146

27 मार्च, 2018 को उत्तर के लिए

o|dfYid Hkfe

5146. डॉ॰ उदित राजः

क्या आवासन और शहरी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार के भूमि और आवासन विभाग ने, गृह मंत्रालय के आदेश संख्या–37/16/60–दिल्ली (1) दिनांक 02/05/1961 जिसके द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण से सिफारिश की गई थी कि उन किसानों को मुआवजा दिया जाए जिनकी पूरी भूमि अधिग्रहित नहीं की गई थी, का अनुपालन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या जय सिंह तोमर बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय के दिनांक 14.09.2011 के आदेशों के अंतर्गत किसानों को आबंटित किए गए वैकल्पिक भूखंड वापस जब्त कर लिए गए थे;

(ग) क्या उच्चतम न्यायालय के दिशा–निर्देशों के अनुसार वैकल्पिक भूखंडों के आबंटन हेतु पात्रता मानदंड तैयार किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यदि पीड़ित पक्ष के पास उसी गॉव में व्यक्तिगत अथवा सहकारी समिति के भाग के रूप में भूमि जोत है तो वैकल्पिक भूमि के आबंटन हेतु आवेदन पत्रों को अस्वीकार कर दिया गया और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में और क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क): जी, हां । राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) के भूमि तथा भवन निर्माण विभाग ने सूचित किया है कि वह अर्जित की गई भूमि के बदले में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को भारत सरकार, गृह मंत्रालय के दिनांक 2.5.1961 के आदेश सं0 एफ 37/16/60 दिल्ली (1) द्वारा अनुमोदित नीति अर्थात 'दिल्ली में वृहद पैमाने पर भूमि का अधिग्रहण, विकास और निपटान, 1961' के अनुसार आवेदकों के लिए वैकल्पिक भूखण्ड की सिफारिश करता है ।

(ख): राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के भूमि तथा भवन निर्माण विभाग ने बताया है कि जयसिंह तोमर नामक कोई भी ऐसा मामला नहीं पाया गया है । तथापि, डीडीए बनाम जय सिंह कँवर- नामक सिविल अपील सं0 8289/2010 के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 14.9.2011 के निर्णय द्वारा नीति की व्याख्या की है । राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के भूमि तथा भवन निर्माण विभाग ने यह भी सूचित किया है कि इस निर्णय के अनुसरण में, पूर्व में संस्तुत भूखण्ड की जब्ती के लिए डीडीए को कोई भी पत्र नहीं भेजा गया था ।

(ग): जी, हां । राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के भूमि तथा भवन निर्माण विभाग ने सूचित किया है कि 'डीडीए एवं अन्य बनाम जय सिंह कँवर' शीर्षक वाली सिविल अपील सं0 8289/2010 के मामले में दिनांक 14.9.2011 के निर्णय द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय ने नीति की निम्नानुसार व्याख्या की है; 'स्कीम का उद्देश्य यह है कि जब किसी व्यक्ति के स्वामित्व वाली भूमि सम्पूर्ण रूप से जब्त कर ली जाती है और उसके पास कोई भी मकान अथवा भूखण्ड नहीं रह जाता, तब उसे भूखण्ड आवंटित किया जाना चाहिए । अत:, स्कीम में यह प्रावधान किया गया कि केवल वह व्यक्ति, जिसके पास कोई मकान / रिहायशी भूखण्ड / फ्लैट नहीं है, आवेदन करने का पात्र होगा । " जीएनसीटीडी के भूमि तथा भवन निर्माण विभाग के यह भी सूचित किया है कि उपर्युक्त निर्णय सुनाए जाने के पश्चात् वह इस निर्णय की अनुपालना कर रहा है ।

(घ): जीएनसीटीडी के भूमि तथा भवन निर्माण विभाग ने बताया है कि यदि पीड़ित पक्ष के पास उसी गांव में अथवा सहकारी आवास सोसाइटी के भाग के रूप में व्यक्तिगत भूमि जोत है तो भूमि के आवंटन के लिए आवेदनों को निरस्त कर दिया जाता है ।

(ड़): जीएनसीटीडी के भूमि तथा भवन निर्माण विभाग ने बताया है कि आगे और कार्रवाई करना अपेक्षित नहीं है ।

***